संख्याः 129/XXXII /2006-1(5)/2006

सेवा में,

श्री डी.के. कोटिया,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
12-ई.सी. रोड, देहरादून।

सूचना अनुभागः- **देहरादूनः दिनांक- 28 अगस्त, 2006**

विषयः चिकित्सा उत्तरांचल में पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकारों को राज्य कर्मचारियों की भांति राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 860/XXVIII-3- 2005-58/2005 दिनांक 11 मई, 2006 (छाया प्रति संलग्न) के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि चिकित्सा अनु.-7 उत्तर प्रदेश शासन, से निर्गत शासनादेश संख्या-14 एच-3529/71 दिनांक 02 फरवरी, 1972 द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रमजीवी एवं पत्रकारों को जो श्रमजीवी पत्रकार (कण्डीसन्स आफ सर्विस एण्ड मिसवेनियस प्राविजन्स) एक्ट, 1955 की धारा 2 (4) में आते है तथा जिनके पास परिचय पत्र हो को समान स्तर के राजकीय कर्मचारियों की भांति प्रदेश के राजकीय अस्पतालों में चिकित्सा संबंधी समस्त सुविधायें दिये जाने की व्यवस्था थी। यह सुविधा मान्यता प्राप्त एवं श्रमजीवी पत्रकारों के परिवार के सदस्यों को भी देय थी तथा परिवार की परिभाषा वही रखी गयी थी, जो राज्य कर्मचारियों के लिए लागू है।

2. उक्त के क्रम में उत्तरांचल के राजकीय चिकित्सालयों में राज्य कर्मचारियों की भांति चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समाचार पत्र संगठनों एवं पत्रकार संघो ने राज्य सरकार से विभिन्न स्तरों पर अनुरोध किया है। इस पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि राज्य कर्मियों की भांति प्रदेश के मान्यता प्राप्त एवं श्रमजीवी पत्रकारों को, जैसा कि शासनादेश के प्रस्तर-1 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश में परिभाषित किया गया है, को उनके परिवार सहित उत्तरांचल के राजकीय अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3. चिकित्सा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति सूचना विभाग द्वारा की जायेगी। इस निमित्त सूचना विभाग के आय-व्यय में अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत 2220 सूचना तथा प्रचार- आयोजनेत्तर-60-अन्य-800-अन्य व्यय-06 श्रमजीवी पत्रकारों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत प्राविधान कराकर की जायेगी।

4. उक्त के क्रम में मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि श्रमजीवी पत्रकारों को उनके परिवार सहित कराई गई चिकित्सा पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार की जायेगी।

क्र	प्रतिपूर्ति दावे की अधिकतम धनराशि	प्रतिहस्ताक्षरित अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी
1.	2,000 रूपये तक	राजकीय चिकित्सालय के अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जहा उपचार किया गया हो अथवा जहा से सन्दर्भित किया गया हो। अशासकीय चिकित्सालयों के प्रकरण में राजकीय चिकित्सालय के सक्षम अधिकारी	कार्यालयाध्यक्ष
2.	2,000 रूपये से अधिक किन्तु 10,000 रूपये तक	डपचार प्रदान करने वाले अथवा सन्दर्भित करने वाले राजकीय चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	विभागाध्यक्ष
3.	10,000 रूपये से अधिक किन्तु रू0 50,000 तक	कुमाऊं मण्डल हेतु अपर निदेशक, कुमाऊं मण्डल, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गढ़वाल गण्डल हेतु अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	शासन स्तर के प्रशासकीय विभाग

4.	रू0 50,000 से अधिक	कुमाऊं मण्डल हेतु अपर निदेशक, कुमाऊं मण्डल, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गढ़वाल गण्डल हेतु अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के परामर्श एवं वित विभाग की सहमति से।

5. सूचना विभाग के आय-व्ययक में इस निमित्त धनराशि की व्यवस्था किये जाने तक श्रमजीवी पत्रकारों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सूचना विभाग के अधीन गठित पत्रकार कल्याण कोष मे उपलब्ध धनराशि से की जायेगी तथा आय-व्ययक में प्राविधान होने के उपरान्त कोष से भुगतान की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति सूचना विभाग के बजट में प्राविधानित धनराशि से कर दी जायेगी।

6. यह आदेश वित विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-502/वित्त अनुभाग-5/2006 दिनांक 25 अगस्त, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नः- यथोपरि

भवदीय

(डी.के. कोटिया)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या- 129/ XXXII /2006-1(5)/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, इन्दीरानगर, देहरादून।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, चन्द्र नगर, देहरादून।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षिका पुरूष एवं महिला चिकित्सालय, उत्तरांचल।
6. वित्त व्यय नियत्रंण अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन।
7. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, उत्तरांचल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला सूचना अधिकारी, सूचना एंव लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल।
10. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय, परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्याः 149/ XXII /2011-1(5)/2005

सेवा में,

डॉ. उमाकांत पंवार,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभागः- **देहरादूनः दिनांक- 13 मई, 2011**

विषयः उत्तराखण्ड में पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकारों को राज्य कर्मचारियों की भांति प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर स्थित चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 129/ XXII /2006-1(5)/2006 दिनांक 28 अगस्त, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकारों को परिवार सहित राज्य कर्मचारियों की भांति प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर स्थित चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने तथा प्रदेश के भीतर तथा प्रदेश के बाहर कराई गई चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे के परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षरण तथा स्वीकृति हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 28 अगस्त, 2006 द्वारा की गई व्यवस्था को संशोधित करते हुये निम्नांकित निर्देश किये जाने के श्री राज्यपाल महोदय आदेश प्रदान करते हैः-

क्र	प्रतिपूर्ति दावे की अधिकतम धनराशि	प्रतिहस्ताक्षरित अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी
1.	रू0 40,000.00 तक	राजकीय चिकित्सालय के अधीक्षक/मुख्य अधीक्षक जहा उपचार किया गया हो अशासकीय चिकित्सालयों के प्रकरण में राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी	कार्यालयाध्यक्ष
2.	रू0 40,000.00 से अधिक किन्तु रू0 1,00,000.00 तक	उपचार प्रदान करने वाले अथवा सन्दर्भित करने वाले राजकीय चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	विभागाध्यक्ष
3.	रू0 1,00,000.00 से अधिक किन्तु रू0 2,00,000.00 तक	कुमाऊं मण्डल हेतु अपर निदेशक, कुमाऊं मण्डल, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गढ़वाल गण्डल हेतु अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	शासन स्तर के प्रशासकीय विभाग
4.	रू0 2,00,000.00 से अधिक	कुमाऊं मण्डल हेतु अपर निदेशक, कुमाऊं मण्डल, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गढ़वाल गण्डल हेतु अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के परामर्श एवं वित विभाग की सहमति से।

2. चिकित्सा उपचार के व्यय प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्यताः-

(i) प्रदेश के भीतर चिकित्सा उपचारः-

(क) प्रदेश के भीतर राजकीय चिकित्सालयों में उपचार कराये जाने पर अनुमन्य मदों पर व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। सामान्य बीमारी अथवा दवा के कैश ेममो पर प्रतिपूर्ति अस्वीकार की जाय।

(ख) प्रदेश स्थित चिकित्सालयों द्वारा उपचार के दौरान ऐसी प्रचार प्रणालियों/परीक्षणों जिनकी सुविधा राजकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध न हो, प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा सन्दर्भित किये जाने पर गैर सरकारी चिकित्सालयों में किये गये उपचार के व्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, पर की जायेगी।

(ग) प्रदेश के भीतर गैर सरकारी चिकित्सालयों, निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम में कराई गयी चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति उन दरों पर की जायेगी जिन दरों पर इस प्रकार की चिकित्सा राजकीय चिकित्सालयों में कराने पर व्यय आता है। प्रतिपूर्ति की धनराशि वास्तविक दावे अथवा सरकारी चिकित्सालय में उक्त उपचार हेतु व्यय की धनराशि/दरों में से जो भी कम हो, देय होगी किन्तु ऐसी उपचार प्रणालियां/परीक्षण जिनकी सुविधा राजकीय चिकित्सालय में उपलब्ध न हो, पर व्यय की प्रतिपूर्ति अखित भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की दरों अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, पर प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(घ) रूटीन बीमारियों का सरकारी चिकित्सालयों से इतर उपचार कराने हेतु प्राधिकृत चिकित्सक का संदर्भण आवश्यक होगा।

(ii) प्रदेश के बाहर विशेषज्ञ चिकित्साः-

असाध्य एवं गम्भीर रोगी के उपचारार्थ प्रदेश स्थित चिकित्सालयों अथवा राजकीय मेडिकल कालेजों मे समुचित व्यवस्था उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रदेश स्थित चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों अथव राजकीय मेडिकल कालेज के संबंधित रोग के विशेषज्ञ, जो प्रोफेसर/विगाध्यक्ष से निम्न स्तर का न हो, की संस्तुति पर प्रदेश के बाहर केवल अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (एम्स), डॉ. राममनोहर लोहिया हास्पीटल, नई दिल्ली तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पी.जी.आई.), चण्डीगढ़ में ही उपचार की अनुमति पर व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। प्रदेश के बाहर उक्त संस्थानों में उपचार पर किये प्रतिपूर्ति दावों की अधिकतम धनराशि रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) तक अनुमन्य होगी। आपातकालीन स्थिति में समयाभाव के कारण, यदि किसी रोगी को बिना पूर्वानुमति के उपचार प्रदान करने वाली संस्था का आकस्मिकता संबंधी प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होने के उपरान्त ही अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अवधि के पश्चात के आकस्मिकता संबंधी प्रमाण-पत्र पर विचार नह किया जायेगा।

3. प्रदेश के भीतर तथा प्रदेश के बाहर करायी गयी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया भी निर्धारित किये जाने के आदेश प्रदान करते हैः-

(i) प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने हेतु चिकित्सक/संस्था जिसके द्वारा उपचार प्रदान किया गया, से संलग्न अनिवार्यता प्रमाण-पत्र के प्रारूप पर, बाउचर सत्यापन कराकर सत्यापित कराकर व सक्षम स्तर पर संदर्भण प्रमाण-पत्र जो उपचार आरम्भ होने की तिथि से अनुवर्ती तिथि का न हो तथा आपातकालीन परिस्थिति का प्रमाण-पत्र संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष्य जैसी स्थिति हो, को तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे। उक्त अवधि के पश्चात प्रस्तुत प्रतिपूर्ति दावों पर विचार नही किया जायेगा। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष प्रस्तर-2 के अनुसार दावों को प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर हेतु अग्रसारित करेंगे। यदि संदर्भण उपचार आरम्भ होने की अनुवर्ती तिथि के हो, तो ऐसे चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावें ग्राहय नही होगे।

(ii) उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी, को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रत्येक दावे के साथ यह प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा कि परीक्षण चिकित्सा परिचर्या नियमावली/संगत शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार किया गया है तथा प्रतिपूर्ति हेतु जो दरे प्रमाणित की गयी है, वे नियमानुसार वास्तविक दरें है। साथ ही दावा प्राप्त होने के पश्चात शासनादेश मे निहित प्राविधानों के अनुरूप विलम्बतम् एक माह के भीतर तकनीकी परीक्षण कराकर प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को वापस किया जाना सुनिश्चित करेंगे जो संबंधित स्वीकर्ता अधिकारी से स्वीकृत आदेश प्राप्त करेंगे।

(iii) प्राधिकृत चिकित्सक के सन्दर्भ में उन उपचार प्रणलियों/परीक्षणों, जिनकी सुविधा राजकीय चिकित्सालयों में न उपलब्ध हो प्रदेश स्थित गैर सरकारी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार परीक्षण की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की दरों पर अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, तभी अनुमन्य होगी जब प्रतिहस्ताक्षरार्थ अधिकारी द्वारा यह प्रमाण-पत्र दिया जायेगा कि राजकीय चिकित्सालयों में उक्त उपचार प्रणालियां/परीक्षण की सुविधा उपलब्ध नही है।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत किये जाने से पूर्व निम्नलिखित चेक लिस्ट के अनुसार औपचारिकतायें पूर्ण होना अनिवार्य होगाः-

<u>चेक लिस्ट</u>

- समस्त बिल/वाउचर की मूल प्रतिलिपि संलग्न हो।
- समस्त बिल/वाउचर चिकित्सक द्वारा सत्यापित हो।
- अनिवार्यता प्रमाण-पत्र संलग्न हो।
- अनिवार्यता प्रमाण-पत्र में रोगी का नाम, उपचार की अवधि तथा व्यय की गयी धनराशि अंकित हो तथा व्यय विवरण संलग्न हो।
- अनिवार्यता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित उपचार अवधि के भीतर के तिथियों के ही बिल वाउचर का भुगतान किया जायेगा।
- अनिवार्यता प्रमाण-पत्र उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित तथा चिकित्सालय के प्रभारी अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

- प्रदेश से बाहर के चिकित्सा संस्थान में उपचार कराये जाने की दशा में प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति दी जानी होगी।

5. यह आदेश तात्कालीन प्रभाव से लागू माने जायेंगे तथा शासनादेश संख्या- 129/ XXII/2006, दिनांक 28 अगस्त, 2006 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

6. यह आदेश वित विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-18/ NP/ XXVII(5)/2011 दिनांक 29 अप्रैल, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे है।

(डॉ. उमाकांत पंवार)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या- 149(1)/ XXII /2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्झड शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, देहरादून।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षिका पुरूष एवं महिला चिकित्सालय, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव

संख्याः 27/ XXII (2)-2019/1(5)/2005

सेवा में,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभागः- 02 **देहरादून: दिनांक- 18 जनवरी, 2019**

विषयः उत्तराखण्ड में पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकारों को राज्य कर्मचारियों की भांति प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर स्थित चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 149/ XXII /2011-1(5)/2005 दिनांक 13 मई, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पूर्णकालिक श्रमजीवी पत्रकारों को परिवार सहित राज्य कर्मचारियों की भांति चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य किये जाने के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के भीतर तथा प्रदेश के बाहर कराई गई चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे के परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षरण तथा स्वीकृति हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 13 मई, 2011 द्वारा की गई व्यवस्था को संशोधित करते हुये निम्नवत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया स्वीकृति प्रदान करती हैः-

क्र.सं.	प्रतिपूर्ति दावे की अधिकतम धनराशि	प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी
1.	रू0 1,50,000.00 तक	राजकीय चिकित्सालय के अधीक्षक/मुख्य अधीक्षक जहा उपचार अथवा जहां से संदर्भित किया गया हो, अशासकीय चिकित्सालयों के प्रकरण में राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी	कार्यालयाध्यक्ष (शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शर्तो एवं प्रपिबंधों के अधीन।)
2.	रू0 1,50,000.00 से अधिक किन्तु रू0 5,00,000.00 तक	उपचार करने वाले अथवा सन्दर्भित करने वाले राजकीय चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	विभागाध्यक्ष (शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शर्तो एवं प्रपिबंधों के अधीन)।
3.	रू0 5,00,000.00 से अधिक	कुमाऊं मण्डल हेतु अपर निदेशक, कुमाऊं मण्डल, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गढ़वाल गण्डल हेतु अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	शासन स्तर के प्रशासकीय विभाग (शासन द्वारा समय - समय पर निर्गत शर्तो एवं प्रपिबंधों के अधीन।)

2. यह आदेश तात्कालीन प्रभाव से लागू माने जायेंगे तथा शासनादेश संख्या- 149/ XXII/2011 -1(5) 2005, दिनांक 13 मई, 2011 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

3. यह आदेश वित विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-42/ XXVII(7)/19 दिनांक 14 जनवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(दिलीप जावलकर)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या- / XXII/2019-1(5)2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्झड शासन।

4. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
5. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, देहरादून।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षिका पुरूष एवं महिला चिकित्सालय, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस.एस. टोलिया)
संयुक्त सचिव